HEGET & USIUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4464]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 2018/कार्तिक 22, 1940

No. 44641

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 2018/KARTIKA 22, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018

का.आ. 5681(अ).—यत:, पीपल्स लिव्नेशन आर्मी जिसे सामान्यत: पीएलए कहा जाता है तथा इसके राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्म फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाईटेड नेशनल लिब्नेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), दी पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग, द "रेड आर्मी", द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसकी सशस्त्र विंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कॉरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलीपाक (एएसयूके) (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से मैतेई उग्रवादी मंगठन कहा जाएगा) का लक्ष्य और उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से पृथक करके स्वतंत्र मणिपुर का गठन करना है और ये –

- (i) भारत से मणिपुर राज्य को अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर के निर्माण के अपने उद्देश्यों की खुले तौर पर घोषणा किए हुए हैं;
- (ii) अपने उक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तथा उनमें लगे हुए हैं;
- (iii) मणिपुर में सुरक्षा वलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला करते रहे हैं;
- (iv) अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठी करने के लिए नागरिकों को डरा-धमका रहे हैं, जबरन धन वसूली कर रहे हैं तथा लूट-खसोट कर रहे हैं;
- (v) अपने अलगाववादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जनता की राय अपने हित में बदलने तथा शस्त्र और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशी स्रोतों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं; और
- (vi) आथयों, प्रशिक्षण और गुप्त रूप से शस्त्र एवं गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं;

और यत:, मैतेर्ड उग्रवादी संगठनों की विधिविरुद्ध और हिंसक गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) दिनांक 01 जनवरी, 2013 से दिनांक 31 जुलाई, 2018 तक पिछले पांच वर्षों में 756 हिंसक घटनाओं में संलिप्तता; और
- (ii) 01 जनवरी, 2013 से 31 जुलाई, 2018 तक 35 सुरक्षा वल कार्मिकों सहित 86 व्यक्तियों की हत्या;

और यत:, केन्द्र सरकार की राय है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और एकता के प्रतिकूल हैं तथा यह कि ये विधिविरुद्ध संगम हैं;

अत:, अव, विधिविरुद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् द पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) जिसे सामन्यत: पीएलए कहा जाता है तथा इसकी राजनीतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी मशस्त्र विंग, मणिपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएक) तथा इसकी मशस्त्र विंग द "रेड आर्मी", द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) तथा इसकी सशस्त्र विंग, जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईएल), समन्वय समिति (कॉरकॉम) और एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलीपाक (एएसयूके) को उनके सभी गुटों, विंगों तथा अग्रणी संगठनों सहित विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

और, यत:, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि मैतेई उग्रवादी संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को रोका नहीं जाता और तत्काल नियंत्रित नहीं किया जाता तो वे-

- (i) अपने अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी तथा हिंसात्मक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए अपने काडरों को जुटाएंगे;
- (ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी ताकतों के सहयोग से राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों का प्रचार करेंगे;
- (iii) नागरिकों की और अधिक हत्याएं करने तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त रहेंगे;
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध शस्त्र तथा गोला-बारूद प्राप्त एवं प्रयोग करेंगे;
- (v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से जबरन विपुल धनराशि वसूल करेंगे और इकट्ठी करेंगे;

और, यत:, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि उपर्युक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों के क्रियाकलापों के मद्देनज़र यह आवश्यक है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिव्नेशन आर्मी (पीएलए) तथा इसकी राजनैतिक विंग, द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द यूनाइटेड नेशनल लिव्नेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) और इसकी सशस्त्र विंग मिणपुर पीपल्स आर्मी (एमपीए), द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) तथा इसकी सशस्त्र विंग 'द रेड आर्मी', द कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) तथा इसकी सशस्त्र विंग, जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है, द कांगली याओल कान्वा लुप (केवाईकेएल), समन्वय समिति (कॉरकॉम) तथा एलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलीपाक (एएसयूके) को उनके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों सहित तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया जाए, तथा तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए किसी भी आदेश के अध्यधींन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा.सं. 11011/06/2018-एन.ई.V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2018

S.O. 5681 (E).—Whereas, the Peoples' Liberation Army generally known as PLA, and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK), (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have the aim and objective of the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India and have-

- (i) openly declared their objectives as formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;
- (ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objectives;
- (iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur:
- (iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their Organisations;
- (v) been making contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective; and
- (vi) been maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of sanctuaries, training and clandestine procurement of arms and ammunition;

And whereas, the unlawful and violent activities of Meitei Extremist Organisations include-

- (i) their involvement in 756 violent incidents for the last five years from 1st January, 2013 to 31st July, 2018:
- (ii) killing of 86 persons including 35 Security Forces personnel from 1st January. 2013 to 31st July, 2018;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the activities of the Meitei Extremist Organisations are considered detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act. 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations. namely, the Peoples' Liberation Army (PLA) and its political wing, the Revolutionary Peoples' Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF) and its armed wing, the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), the Coordination Committee (CorCom) and the Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organisations, as unlawful associations;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the Meitei Extremist Organisations are not curbed and controlled immediately, they will take the opportunity of-

- (i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;
- (ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to sovereignty and integrity of India;
- (iii) indulging in killings of civilians and targeting of the police and security force personnel;
- (iv) procuring and inducting illegal arms and ammunitions from across the international border;
- (v) extorting and collecting huge funds from public for their unlawful activities;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the Meitei Extremist Organisations mentioned above, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations viz. the Peoples' Extremist Organisations mentioned above, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations viz. the Peoples' Extremist Organisations viz. the Peoples' Extremist Organisations viz. the Peoples' Revolutionary Peoples' Revolutionary Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak Front (UNLF) and its armed wing the Manipur Peoples' Army (MPA), the Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL), Coordination Committee (CorCom) and Alliance for Socialist Unity Kangleipak (ASUK) along with all their factions, wings and front organisations as 'unlawful

associations' with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 11011/6/2018-NE-V] SATYENDRA GARG, Jt. Secy.